सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 132/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–11.07.2024

GCMS ID–2024/208

उनवान

1. कान्ता देवी पत्नी दुर्गालाल जाति खटीक नि0 डाबरकलां तह0 देवली जिला टोंक।
2. गणेश आ0 स्व0 दुर्गालाल जाति खटीक नि0 डाबरकलां तह0 देवली जिला टोंक।
3. चांदमल आ0 स्व0 दुर्गालाल जाति खटीक नि0 डाबरकलां तह0 देवली जिला टोंक।
4. टीकमचंद आ0 स्व0 दुर्गालाल जाति खटीक नि0 डाबरकलां तह0 देवली जिला टोंक।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनसिंह आ0 देवी जाति मीणा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– श्री विजय माहेश्वरी

आदेश

दिनांक : 19.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम पेंच की बावडी जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 54 के खसरा संख्या 749/710 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 767/710 रकबा 0.3237 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1331 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदारान प्रार्थीगण है जो वर्तमान में डाबरकला निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लडाकू ताकतवर व्यक्ति है प्रार्थीगण की जमीन के पास सरकारी विभाग खेल मैदान, शुगर फैक्ट्री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए है। साथ ही खसरा संख्या 920/637 चरागाह भूमि है जिस पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण की आड में अप्रार्थी धीरे–धीरे प्रार्थीगण की भूमि पर को भी दबाने लगा और कब्जा करने लगा। अप्रार्थी से इस संबंध में शिकायत की तो कहा कि मैं प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर काबिज नहीं हूँ मैं तो सरकारी चारागाह की भूमि पर काबिज हूँ। चाहे तो प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा ले। यदि प्रार्थीगण की भूमि निकलती है तो मैं अपना कब्जा हटा लूंगा। प्रार्थीगण उपरोक्त कारणों से अपनी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों पर पत्थरगढी कराकर सीमाबंदी कराना चाहते है ताकि अपनी जमीन

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सुरक्षित रख सके। प्रार्थीगण के पास पत्थरगढी कराने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा है। अप्रार्थी लडाकू प्रकृति का व्यक्ति है बात–बात में करने मारने पर आमादा होता है। प्रार्थीगण ने अतिम बार दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा नहीं करने को कहा लेकिन अप्रार्थी इसी बात पर अडा रहा कि उसका कब्जा सरकारी भूमि पर है प्रार्थीगण की भूमि पर नहीं है चाहे तो प्रार्थीगण पत्थरगढी कराकर अपनी भूमि की सीमाबंदी करवा ले। अप्रार्थी के आस पास कोई खाते की भूमि नहीं है। सरकारी विभागों के काम आने वाली सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण 28.06.2024 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। भूमियां श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित है अतः श्रीमान को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस उचित तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की आज्ञा प्रदान करे और पत्थर गाडकर प्रार्थीगण की भूमि की सीमाबंदी कायम करें। प्रार्थी इस कार्यवाही में जो खर्चा होगा उसको वहन करने को तैयार है। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वह भी दो जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से जवाब पेश कर कथन किया कि मैं 70 वर्षीय रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरे कब्जे काश्त की भूमि 920/637 पर मेरा पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है व मैं अपने कब्जे काश्त की भूमि पर मकान व बाडा बनाकर निवास कर रहा हूँ मेंरा प्रार्थी की किसी भी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं न ही मैं प्रार्थी की किसी भूमि पर कब्जे का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 920/637 व प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 749/710, 767/710 के मध्य भूमि खसरा संख्या 919/637 स्थित है। इस कारण मेरे द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थीगण की भूमियों के चारों तरफ अन्य लोगों की भूमिया है। जिनकों पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण की भूमियों पर वर्तमान में अन्य लोगों का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार नहीं होने से खारिज किया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

उपखण्ड अधिकारी
लिण्डोली

Email- sdolindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 54 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 54 के खसरा सं0 749/710, 767/710 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1331 है0 वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446